



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P.Legislative Assembly)

सं.स.स विभाग / जा. सं.स. / 1035

दिनांक: 21/08/17

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के संबंध में भ्रामक जानकारी से संबंधित सूचना

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना मध्यप्रदेश विधानसभा के एक्ट क्रमांक 15 सन 1990 के अन्तर्गत की गई थी। विधानसभा द्वारा पारित उक्त अधिनियम में अध्ययन संस्थाओं के माध्यम से पूरे भारत में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय के कुछ पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से भी मान्यता प्राप्त है।

3. जनसंचार एवं मीडिया के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षण-प्रशिक्षण एवं शोध का प्रावधान विश्वविद्यालय के अधिनियम में है।

4. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के रिट पिटीशन WP No.6740 of 2006 दिनांक 19.5.2006 के स्थगन आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के सभी अध्ययन केन्द्रों को यथास्थिति रखने के आदेश हैं।

5. सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय की मान्यता ही पर्याप्त है।

कुलसचिव